

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. : 09/2022 (राजस्व अपील)

GCMS No. 2022/21

### **अनवान**

1. श्री गोता पिता रूपा डांगी, निवासी सिंगपुर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– अपीलान्त

### **बनाम**

1. पटवारी, पटवार हल्का झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– रेस्पोजेन्ट

### **उपस्थित**

1. श्री जीवनसिंह राव, अधिवक्ता अपीलान्ट्स

2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**  
**अपील विरुद्ध न्यायालय उपतहसीलदार झल्लारा, प्र.स. 04/2022 दिनांक 09.02.**  
**2022**

### **\* निर्णय \***

दिनांक— 16-03-2022

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्त ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश उपतहसीलदार झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 09.02.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व ग्राम सिंगपुर की आराजी संख्या 1115 रकबा 1.22 हेक्टेयर पर किस्म चारागाह से अपीलान्त को बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जबकि उक्त भूमि को अपीलान्त केवल पशु के चारागाह हेतु खुला छोड़कर पशु को चरा रहे हैं। उक्त भूमि पर अपीलान्त द्वारा कभी भी खेती नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली पर कोई साक्ष्य का संकलन नहीं किया है एवं अपने आदेश में यह भी प्रकट नहीं किया है कि भूमि पर कब क्या फसल बोकर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण में पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई



झल्लारा से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 04/2022 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्त अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपतहसीलदार झल्लारा द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए भूमि का पशुओं के चराने हेतु उपयोग करना, किसी प्रकार की फसल बुवाई न करना, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का संकलन न करना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि अपीलान्त गरीब कृषक है एवं जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि है उनके द्वारा राजकीय भूमि को नुकसान पहुँचाने का कोई कृत्य नहीं किया है। अपीलान्त के विरुद्ध उक्त कार्यवाही द्वेषतापूर्वक की गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाने का आदेश प्रदान करावे।

बहस में भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व ग्राम सिंगपुर, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 1115 रकबा 1.22 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्त द्वारा नाजायज कब्जा करने की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार झल्लारा को प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर अपीलान्त को भूमि से बेदखल करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान किया है, जो नियमानुसार है। भूमि की किस्म चारागाह है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसी भूमियों पर किये जाने वाले आवंटन को अवैध माना है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नियमन अपीलान्त के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2022 को यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमें वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार झल्लारा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम सिंगपुर, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 1115 रकबा 1.22 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलान्त को भूमि से बेदखल करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि पूर्व में भी कथित आराजी पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करने से प्रकरण संख्या 722/2020 एवं 799/2021 में पारित निर्णय द्वारा अतिक्रमियों को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, किन्तु पुनः अपीलान्त द्वारा तीसरी बार अतिक्रमण किया गया है अर्थात् अपीलान्त अतिक्रमण करने के आदी हैं। अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज होने पर विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमियों को स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अवसर भी दिया गया है, किन्तु स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण न हटाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अतिक्रमियों को बेदखल करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का समुचित आदेश पारित किया है।

मामले में यह उल्लेखनीय है कि भूमि की किस्म चारागाह हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप 6) विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज-6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 में यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011@SLP(C)No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमियों/जोहड़-पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात् किये गये आवंटनों को अवैध माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड बाबत जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार झल्लारा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2022 को यथावत रखा जाता है। साथ ही उप तहसीलदार झल्लारा को निर्देश प्रदान किये जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में यदि चारागाह भूमि पर और भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरुद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य में भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
उदयपुर